कृमि से मुक्ति, बच्चों को शक्ति

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस

(10 फरवरी 2016)

प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश

(Emergency Response System)

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का परिचय

बच्चों में कृमि संक्रमण, व्यक्तिगत अस्वच्छता तथा संक्रमित दूषित मिट्टी के संपर्क से संभावित होता हैं। कृमि संक्रमण से बच्चों की जहॉ एक ओर शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित होती है वही दूसरी ओर उनके पोषण स्तर एवं हिमोंग्लोबिन स्तर पर भी दूष्प्रभाव पड़ता हैं। अतः 1 सें 19 वर्षीय बच्चों का कृमिनाशन करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक साक्ष्य आधारित सकारात्मक रणनीति है।

भारत सरकार के निर्देशानुरूप समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में एक साथ दिनांक 10 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस एवं दिनांक 15 फरवरी 2016 को मॉप–अप दिवस का आयोजन किया जाना है जिसके अंतर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1 सें 19 वर्षीय समस्त बच्चों का कृमिनाशन किया जाना है।

प्रदेश में 41 जिलों में उपरोक्तानुसार कृमिनाशन की कार्यवाही की जायेगी तथा शेष 10 जिलों में माह दिसम्बर 2015 में ही फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त समुदाय का कृमिनाशन किया जायेगा। प्रदेश के 3 जिले यथा भोपाल, रायसेन तथा सागर में प्रायवेट शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा। राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का उद्देश्य हितग्राही समूह के समस्त बच्चों को एल्बेंण्डाजोल चबाने वाली मीठी गोली की प्रदायगी से बच्चों में कृमि नियंत्रण एवं उससे होने वाली आयरन की कमी की रोकथाम करना है ताकि बच्चों का सर्वांगीण बौद्धिक विकास तथा शालाओं में उपस्थिति में सुधार हो सके। कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं एकीकृत बाल विकास सेवायें के समन्वय से किया जायेगा।

विभिन्न हितग्राही समूहों में कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए एल्बेन्डाजॉल का डोज़ निम्नानुसार निर्धारित हैः–

क्र.	आयु समूह	एल्बेन्डाजॉल का डोज	सेवा प्रदाता
1	1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चे	एल्बेन्डाजॉल – आधी गोली (Chewable 200 एम.जी.) नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत	आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदायगी।
2	2 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चे	एल्बेन्डाजॉल – पूरी गोली (Chewable 400 एम.जी.) नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत	• शालाओं में शिक्षकों द्वारा • शाला त्यागी एवं शाला अप्रवेशी बच्चों को आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदायगी।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस हेतु प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिक्रिया प्रणाली
Emergency Response System

यह निर्देशिका बुनियादी तौर पर सामुहिक औषधि प्रदायगी (MDA) के दौरान सावधानी तथा सुरक्षा हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शी सिद्धातों पर आधारित है। भारत सरकार के राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस कार्यक्रम में, प्रयुक्त कृमिनाशक औषधियों का उपयोग, सम्मिलित हितग्राही समूहों कृमिनाशन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एल्बेंण्डाजोल गोलियां निःशुल्क प्रदान की गयी है जिसके 1 जार में 200 गोलियां है।

विश्वभर में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह अनुभव है कि कृमिनाशन हेतु प्रदान की जाने वाली एलबेन्डाजॉल गोली से बहुत मामूली एवं अल्पकालिक दुष्प्रभाव होते हैं। शालेय बच्चों में यह लक्षण प्रायः औषधि सेवन के प्रारंभिक दौर पर प्रतिवेदित होते है क्योंकि बच्चों में गोली के सेवन के सही तरीके की अज्ञानता एवं शुरूआत में कृमि संक्रमण (Worm load) की अधिकता होती है। ***आयरन फोलिक एसिड की सिरप/गोली तथा कृमिनाशक एल्बेण्डाजोल से कुछ बच्चों तथा अन्य हितग्राहियों में हल्का पेटदर्द, उबकाई, जी–मचलाना, उल्टी, दस्त आदि जैसे आम लक्षण प्रतिवेदित होते हैं। साधरणतः इनके उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है एवं यह लक्षण अल्प क्षणिक एवं स्वतः कम हो जाते हैं।***

सामूहिक औषधि प्रदायगी कार्यक्रमों में प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिक्रिया प्रणाली का होना अत्यावश्यक है क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना के व्यवस्थापन में गड़बड़ी तथा नकारात्मक प्रचार होने पर समस्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस हेतु जरूरत है कि प्रदेश की एक विशिष्ट प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिक्रिया प्रणाली हो जिसमें अप्रिय लक्षणों के प्रबंधन हेतु मानक परिचालन मार्गदर्शिका परिभाषित हो तथा

स्वास्थ्य केन्द्रों, उत्तरदायी नोडल अधिकारियों के नाम तथा संपर्क नम्बर, रोगियों के परिवहन हेतु 108/अन्य परिवहन व्यवस्थाओं का विवरण हो।

प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्देश्य राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस कार्यक्रम से जुड़े हितग्राही समूह तथा मैदानी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा एवं सुलभ संदर्भ के लिए है। यद्यपि बड़े पैमाने पर आयोजित सामूहिक औषधि प्रदायगी संबंधी कार्यक्रमों में प्रतिकूल घटनायें कभी–कभार ही होती हैं, परन्तु किसी भी अप्रिय/प्रतिकूल घटना के लिए व्यवस्था की निगरानी एवं हितग्राहियों की सुरक्षा के लिए समस्त उत्तरदायी लोगो को तैयार होना चाहिए।

परिभाषाएँ :

1. **प्रतिकूल घटना (Adverse Event) –** प्रतिकूल घटना को, किसी भी उपचार हेतु प्रदायित चिकित्सकीय औषधि से उत्पन्न होने वाले अप्रिय लक्षणों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
2. **गंभीर प्रतिकूल घटना (Severe Adverse Event) –** गंभीर प्रतिकूल घटना में ऐसे अप्रिय लक्षण उत्पन्न होते हैं जो घातक हों तथा अपंगता, अक्षमता को उत्पन्न करते हों। ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती कर, सघन चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है।
3. गोली क सेवन के समय श्वसन मार्ग के अवरोध से दम घुटने (Choking Hazard/Aspiration) से भी गंभीर प्रतिकूल घटना हो सकती है।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस हेतु प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिक्रिया प्रणाली में विभागीय भूमिका :

1. **कार्यक्रम के पूर्व की तैयारी –**
    - समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं तथा आर.बी.एस.के. के चलित स्वास्थ्य दलों में निम्नानुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो:–
        1. **ORS Packets**
        2. **Tab. Magnesiun Hydroxide+Aluminium Hydroxide (500 mg+250 mg)/Suspension (625 mg +312mg/5 ml)**
        3. **Tab. Chlorpheniramine maleate (4 mg)**
        4. **Tab. Cetrizine (10 mg)**
        5. **Tab. Dicyclomine (10 mg)**
        6. **Tab. Domperidone (10/20 mg) /Susp.Domperidone (1mg/ml)**
        7. **Tab. Paracetamol (250/500 mg)/Syp. Paracetamol (125 mg/5ml)**

2. **प्रतिकूल घटना की सूचना प्रणाली –**
    - शालेय बच्चों (5–19 वर्ष) कृमिनाशक गोली सर्वथा निगरानी में दी जाए ताकि प्रतिकूल घटना की संभावना कम हो।
    - ग्राम स्तर पर कृमिनाशक औषधि के खिलाने पर आपातकालीन स्थिति के निराकरण की संपूर्ण तैयारी हो।
    - 5 वर्ष से छोटे बच्चों में कृमिनाशक गोली के सेवन उपरांत अल्पतीव्र या मामूली प्रतिकूल लक्षण होने पर आशा/ए.एन.एम. से मूलभूत उपचार प्राप्त किया जाए।
    - **5 वर्ष से छोटे बच्चों की मॉ, को सूचित किया जाए कि कोई भी गंभीर प्रतिकूल लक्षण होने पर एम.सी.पी. कार्ड में उल्लेखित जननी एक्सप्रेस अथवा 108 के दूरभाष नम्बर पर डायल कर आपातकालीन परिवहन व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है।**
    - समस्त ग्राम आरोग्य केन्द्रों पर उपरोक्तानुसार औषधियों की उपलब्धता रहे।
    - आपातकालीन स्थिति में निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक का मोबाइल नम्बर, ग्राम आरोग्य केन्द्र के दीवार पर अंकित हो तथा शाला प्रधान के पास उपलब्ध रहे।

- मामूली लक्षण होने पर उपचार के साथ–साथ परामर्श एवं समझाइश दी जाए कि यह लक्षण गंभीर नहीं है तथा स्वतः ही कम हो जाते हैं।
- गंभीर लक्षण होने पर आपतकालीन परिवहन व्यवस्था–108/जननी एक्सप्रेस के माध्यम से निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाया जाए। इस हेतु कॉल सेन्टर का नम्बर आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताध्शाला प्रधान के पास उपलब्ध हो।
- समस्त महत्वपूर्ण मोबाइल नम्बर जैसे–आशा, ए.एन.एम., स्वास्थ्य सुपरवाईजर, सेक्टर अधिकारी तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी के मोबाइल/दूरभाष नम्बर शाला प्रधान तथा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों के पास उपलब्ध रहे।
- आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ब्लाक स्तर पर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टीम का गठित हो जिसमें 1 चिकित्सक, 1 स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम. तथा 1 फार्मासिस्ट रहे।
- **प्रतिकूल घटना की सूचना प्रवाह निम्नानुसार की जाए :–**
  आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/शाला प्रधान –आशा/ए.एन.एम./हेल्थ सुपरवाईजर ⟶ सेक्टर अधिकारी/ खण्ड चिकित्सा अधिकारी ⟶ जिला निपी नोडल अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ⟶ राज्य निपी नोडल अधिकारी /संचालक तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

3. अल्पतीव्र/मामूली प्रतिकूल घटना प्रोटोकॉल –

- कृमिनाशक गोलियों के सेवन से कुछ बच्चों में उबकाई, जी मचलना, उल्टी, हल्का पेट दर्द या थकान के लक्षण प्रकट हो सकते है। यह लक्षण मामूली एवं अस्थाई होते हैं तथा आमतौर पर इनके ईलाज के लिए अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा शाला में अनुपूरण के पश्चात मामूली प्रतिकूल लक्षण होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः–

  - पीड़ित बच्चे को छायादार खुली एवं समतल जगह पर लिटाकर आराम करायें।
  - उसे पीने को साफ पानी दें तथा ओ.आर.एस. का घोल तुरन्त बनाकर पिलाऐं।
  - आशा/ए.एन.एम./हेल्थ सुपरवाईजर तथा चिकित्सा अधिकारी व बच्चे के अभिभावकों को सूचित करें
  - प्राथमिक उपचार तथा समझाइश के बाद 2 घंटे तक बच्चे को निगरानी में रखें।

अल्पतीव्र/मामूली प्रतिकूल घटना के दौरान मूलभूत उपचार हेतु संदर्भ तालिका

क्रं.	लक्षण	औषधि	डोज
1	चक्कर या घबराहट	Reduced Osmolarity Solution – ORS	1 लीटर साफ पानी में 1 पैकेट ओ.आर.एस. डालकर अच्छी तरह मिलायें एवं पीड़ित हितग्राही को बार–बार पिलायें।
2	पेट में जलन या घबराहट	Tab. Magnesiun Hydroxide + Aluminium Hydroxide (500 mg+250 mg)/Suspension (625 mg +312mg/5 ml)	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आधी चम्मच, 5–10 वर्ष के बच्चे को 1 चम्मच सस्पेंशन दें तथा 10 वर्ष से अधिक उम्र के पीड़ित हितग्राहियों को 1 गोली चबाकर खाने को बोलें।
3	दाने, चकत्ते या फिर खुजली	Tab. Chlorpheniramine maleate(4 mg) or Tab. Cetrizine (10 mg)	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 1 चौथाई गोली, 5–10 वर्ष के बच्चे को आधी गोली तथा 10 वर्ष से अधिक उम्र के पीड़ित हितग्राहियों को 1 गोली
4	उल्टी	Tab. Domperidone (10/20 mg) /Susp.Domperidone (1mg/ml)	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आधा चम्मच सस्पेन्शन, 5–10 वर्ष के बच्चे को 10 मि.ग्रा. की आधी गोली अथवा 1 चम्मच सस्पेंशन तथा 10 वर्ष से अधिक उम्र के पीड़ित हितग्राहियों को 20 मि.ग्रा. की 1 गोली
5	पेट दर्द	Tab. Dicyclomine (10 mg)	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 1 चौथई गोली, 5–10 वर्ष के बच्चे को आधी गोली तथा 10 वर्ष से अधिक उम्र के पीड़ित हितग्राहियों को 1 गोली
6	बुखार	Tab. Paracetamol (250/500 mg)/Syp. Paracetamol (125 mg/5ml)	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 250 मि.ग्रा. की आधि गोली अथवा 125 मि.ग्रा. की 1 चम्मच सिरप, 5–10 वर्ष के बच्चे को 250 मि.ग्रा. की 1 गोली अथवा 2 चम्मच सिरप तथा 10 वर्ष से अधिक उम्र के पीड़ित हितग्राहियों को 500 मि. ग्रा. की 1 गोली

- उपरोक्त अनुसार मूलभूत उपचार देने के पश्चात भी यदि प्रतिकूल लक्षण कम नहीं होते हैं तो मैदानी स्वास्थ्यकर्मी द्वारा पीड़ित हितग्राही को निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र पर तत्काल रेफर किया जाए।
- पीड़ित हितग्राहियों की संख्या 5 से अधिक होने पर सेक्टर अधिकारी/ खण्ड चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाए ताकि एमर्जेन्सी रेस्पॉर्स दल को घटना स्थल पर तुरन्त भेजा जा सके।

4. गंभीर प्रतिकूल घटना प्रोटोकॉल –

- **गंभीर प्रतिकूल घटना होने पर सर्वप्रथम प्रभावित बच्चे को दूसरे बच्चो से अलग कर दें तथा कृमि नियंत्रण गतिविधि को अस्थाई विराम दें।**
- **बिना घबराए बाकि समस्त बच्चों को धैर्य रखने की समझाइश दें।**
- **निकटस्थ शासकीय अस्पताल के हेल्पलाईन नम्बर से तुरंत संपर्क करें एवं सूचना प्रवाह प्रणाली का उपयोग करें।**
- **चिकित्सक से दूरभाष पर उचित परामर्श प्राप्त करें तथा इमर्जेन्सी रेस्पॉन्स टीम के आने तक प्राथमिक उपचार प्रारंभ करें।**
- **कॉल सेन्टर के माध्यम से आपातकालीन परिवहन हेतु 108/जननी एक्सप्रेस को तत्काल बुलायें।**
- **बच्चे के माता–पिता को तुरन्त सूचित करें।**

5. मीडिया से चर्चा –

- मीडिया से चर्चा हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से केवल निम्न अधिकारियों को मनोनीत किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला स्तर पर जिला निपी नोडल अधिकारी (केवल चिकित्सक) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य स्तर पर संचालक तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- किसी भी परिस्थिति में अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिकूल घटना हेतु अभिमत नही दिया जाए।
- विभागीय प्रवक्ता का दायित्व होगा कि मीडिया को सही जानकारी दें जिससे सामुहिक औषधि प्रदायगी बाधित न हो।
- मीडिया के बातचीत पूर्व प्रतिकूल घटना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाए।

कृमि नियंत्रण हेतु मुख्य संदेश

नेशनल डीवर्मिंग डे 10 फरवरी 2016 पर कृमिनाशक गोली (एलेबेंडाजॉल 400 मिग्रा.) 1 से 19 वर्षीय बच्चों को खिलाएं। छूटे हुए बच्चे मॉप अप दिवस 15 फरवरी 2016 को कृमिनाशक गोली खिलाएं।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस कार्यक्रम के एडवर्स इवेन्ट (प्रतिकूल घटना) हेतु संपर्क एवं सूचनार्थ

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तथा सेक्टर मेडिकल आफिसर की संपर्क सूची :–

- जिले का नाम .....
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का नाम .....
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का संपर्क नम्बर .....
- सिविल सर्जन का नाम .....
- सिविल सर्जन का संपर्क नम्बर .....
- जिला निपी नोडल अधिकारी का नाम .....
- जिला निपी नोडल अधिकारी का संपर्क नम्बर .....
- कॉल सेन्टर का नम्बर .....
- ई.एम.आर.आई. 108/जननी एक्सप्रेस हेतु संपर्क नम्बर .....

क्रं.	विकासखण्ड के नाम	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों के नाम	मोबाईल नम्बर

क्रं.	सेक्टर का नाम	सेक्टर चिकित्सा अधिकारियों के नाम	मोबाईल नम्बर

(उपरोक्त प्रपत्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से भरा जाए तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों/शालाओं में वितरण हेतु जिला परियोजना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखण्ड परियोजना अधिकारी, म.बा.वि./विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए)

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस कार्यक्रम के एडवर्स इवेन्ट (प्रतिकूल घटना) हेतु शाला प्रधान/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र

अल्पतीव्र/मामूली प्रतिकूल घटना हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र

पीड़ित हितग्राही का नाम एवं पताः	लिंग	उम्र
माता/पिता/पति का नाम तथा संपर्क विवरणः		
ग्राम का पता	* संस्था का प्रकार–शाला ☐ आंगनवाड़ी केन्द्र ☐ * प्रतिकूल घटना के घटना संस्था पर ✓ का चिन्ह लगायें।	
उपचार सील		
रिपोर्टकर्ता का नाम		
रिपोर्टकर्ता का संपर्क विवरण		

पीड़ित हितग्राही के लक्षण		
पीड़ित हितग्राही को दी गई औषधि का नाम	औषधि का बैच क्रमांक	औषधि के निर्माता का नाम
कृमिनाशक एलबेन्डाजॉल मीठी गोली देने की तिथि/समय		
अल्पतीव्र/मामूली प्रतिकूल घटना/लक्षण प्रारंभ होने की तिथि/समय		
पीड़ित हितग्राही का यदि कोई पूर्व चिकित्सकीय इतिहास हो		
अल्पतीव्र/मामूली प्रतिकूल घटना/लक्षण के मूलभूत उपचार हेतु की गई कार्यवाही		

हस्ताक्षर
शाला प्रधान/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी केन्द्र/शाला का नाम
ग्राम का नाम
विकासखण्ड का नाम

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस कार्यक्रम के एडवर्स इवेन्ट (प्रतिकूल घटना) हेतु शाला प्रधान/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र

गंभीर प्रतिकूल घटना हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र

पीड़ित हितग्राही का नाम एवं पताः	लिंग	उम्र
माता/पिता/पति का नाम तथा संपर्क विवरणः		
ग्राम का पता	* संस्था का प्रकार–शाला ☐ आंगनवाड़ी केन्द्र ☐	
	* प्रतिकूल घटना के घटना संस्था पर ✓ का चिन्ह लगायें।	
उपचार सील		
रिपोर्टकर्ता का नाम		
रिपोर्टकर्ता का संपर्क विवरण		

पीड़ित हितग्राही के लक्षण		
पीड़ित हितग्राही को दी गई औषधि का नाम	औषधि का बैच क्रमांक	औषधि के निर्माता का नाम
कृमिनाशक एलबेन्डाजॉल मीठी गोली देने की तिथि/समय		
गंभीर प्रतिकूल घटना/लक्षण प्रारंभ होने की तिथि/समय		
पीड़ित हितग्राही का यदि कोई पूर्व चिकित्सकीय इतिहास हो		
गंभीर प्रतिकूल घटना/लक्षण के मूलभूत उपचार हेतु की गई कार्यवाही		
गंभीर प्रतिकूल घटना के उपरांत स्वास्थ्य संस्था जहां पीड़ित हितग्राही को रेफर किया गया		

हस्ताक्षर
शाला प्रधान/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी केन्द्र/शाला का नाम
ग्राम का नाम
विकासखण्ड का नाम

याद रखेः—

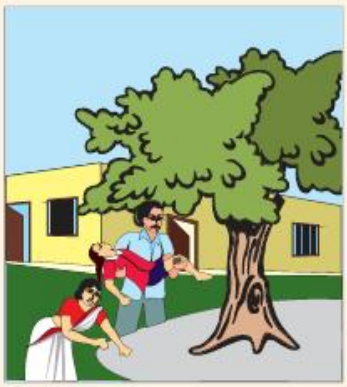

बच्चे को खुले एवं छायादार
स्थान पर लिटाया जाय

स्वच्छ पेयजल तथा ओ.आर.एस.
घोल पीने को दें

संपर्क सूची में दर्ज ग्राम की आशा/ए.एन.एम./सेक्टर
चिकित्सा अधिकारी/बी.एम.ओ. को सूचित करें।

आकस्मिक परिवहन व्यवस्था 108/जननी एक्सप्रेस के माध्यम
से पीड़ित बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर पंहुचाया